फार्मा पार्क: स्टांप माफ, ब्याज पर अनुदान

प्रोत्साहन

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में फार्मा पार्क में निवेश करने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट, ब्याज पर सब्सिडी व कई अन्य सुविधाएं निवेशकों को मिलेंगी। कैबिनेट ने मंगलवार को बहुप्रतिक्षित फार्मास्यूटिक एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 को मंजूरी दे दी।

यह मिलेंगे प्रोत्साहन: जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी पर सौ प्रतिशत की छूट और व्यक्तिगत खरीददारों द्वारा भूखंड खरीद पर पहली बार स्टांप ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हर साल एक करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी के अधीन सात सालों के लिए जमीन खरीदने के लिए कर्ज पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्ति होगी। बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए लिए कर्ज पर ब्याज का 60 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति सात सालो तक होगी। संयंत्र व मशीनरी खरीदने को लिए गए कर्ज पर प्रतिपूर्ति के रूप में पांच साल के लिए पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

फार्मा नीति के खास बातें

- औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और उत्पादों के विकास हेतु लिए गए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 05 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ब्याज राशि का 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, अधिकतम 02 करोड़ रुपये।
- वर्तमान इकाइयों द्वारा नए पूंजी निवेश के माध्यम से कम से कम 25 प्रतिशत तक अपने सकल ब्लॉक को बढ़ाए जाने पर वर्तमान इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत नई इकाई पर लागू होने वाले सभी प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
- सामान्य बॉयलर परियोजना-निश्चित स्थापना लागत के 35 प्रतिशत (ठोस ईंधन के मामले में) और 50 प्रतिशत (स्वच्छ ईंधन के मामले में) की सब्सिडी, अधिकतम 02 करोड़ रुपये।